न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद संख्या: 68 / 2013 दायर दिनॉक 03.05.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय बोदूलाल जाति—महाजन, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 2. निरंजनकुमार पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 3. शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 4. गोपालप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 5. बिदामीदेवी पत्नी स्वर्गीय हजारीमल, समस्त,जाति—महाजन (कामदार), निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. जतनाराम पुत्र भुराराम, जाति—जाट, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. कमलादेवी पत्नी लच्छाराम, जाति—जाट, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बोदुलाल, 9. जितेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय बोदुलाल, समस्त,जाति—महाजन (कामदार), निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना एवं उपपंजीयक, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 68/2013
दायर दिनाँक 03.05.2019, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
सुशीलकुमार बनाम् श्रीप्रकाश, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।

दिनाँक 11.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09, डाबड़ा गाँव के स्थाई निवासी हैं, जो सभी खेतीहर मजदूर व्यक्ति एवं कामकाजी महिला हैं जबकि प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 राज्य–सरकार के प्रतिनिधि हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 व 08 एक ही परिवार एवं वंश के सदस्य हैं।

सरहद डाबड़ा की कॉकड़ में खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 18.13 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा भूमि कुल रकबा 67.18 बीघा भूमि हैं जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत् 2068–2071 पेश है जो दावे का भाग है।

वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 निरंजनकुमार, उसकी माता मोहनीदेवी व पिता रामेश्वरलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 ता 05 का 1/3 हिस्सा भूमि बन्ट में आती है।

खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा में से 1/3 हिस्सा मोहनीदेवी एवं निरंजनकुमार ने वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08, 09 के पिता स्वर्गीय बोदुलाल को दिनाँक 14.07.1992 को जरिये ईकरारनामा के अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा अनुसार रकबा 22.12 बीघा भूमि का बैचाण 250000/– रूपये स्वर्गीय बोदुलाल को कर दी तथा मौके पर उक्त भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

का कब्जा भी उनको इसी दिन सुपुर्द कर दिया, मगर विदित भूमि की रजिस्ट्री उनके पक्ष में आज दिन तक नहीं करवाई क्योंकि स्वर्गीय बोदुलाल भाईबन्ट के अनुसार उक्त रकम उनमें मांगते थे। उक्त रकम आज दिन तक स्वर्गीय बोदुलाल के जीवनकाल में उनको तथा उनके वारिसान् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को आज दिन तक अदा नहीं की है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 का मौके पर शुरू से निर्विवादरूप से चला आ रहा है। नकल ईकरारनामा (बैचाण) पेश है।

खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 18.13 बीघा भूमि का बैचाण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 को कर दिया है जिस पर कब्जाकाश्त मौके पर खरीदने के दिन से लेकर आज दिन तक मौके पर उनका है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के मन में लोभ–लालच समा गया है जिससे प्रेरित होकर व खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा उनके नाम दर्ज होने की आड़ में उक्त भूमि का बैचाण हस्तानान्तरण कर उनको बेदखल करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि में उनका कोई हक अधिकार नहीं लगता है, जिसकी एलानियाँ धमकी वादी, प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को माह अप्रेल 2013 में दी जिस पर वादी द्वारा नकल खतौनी तहसील कार्यालय डीडवाना से लेने पर उसको तमाम तथ्यों की जानकारी होने से उपर्युक्त दावा बाबत् बन्टवारा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

उक्त दावे में प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वे रेवेन्यू लैण्ड होल्डर है जिनको पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. को दो माह का नोटिस दिया जाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आवश्यक है मगर उक्त दावा आवश्यक प्रकृति का होने से उनको बगैर नोटिस दिये उक्त दावा उनके खिलाफ पेश है जिसमें स्वीकृति आवश्यक है।

प्रतिवादीगण की वादी को वादवर्णित एलानियाँ धमकी माह अप्रेल 2013 बमुकाम डाबड़ा में पैदा हुआ है जो लगातार पैदा हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डाबडा में खसरा नम्बर 61 व 62 वादवर्णितानुसार पैदा संख्या 02 ता 05 के अनुसार वादी, प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के बीच कानूनी रूप से बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर खातेदारी अलग–अलग घोषित की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनाँक 18.05.2017 को कोर्ट कैम्प डाबड़ा में वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया गया। वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 234/202 खसरा नम्बर 61 व 62 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 234/202 खसरा नम्बर 61, 62 की सत्यप्रतिलिप– प्रदर्श–01, पास–बुक की छायाप्रति– प्रदर्श–02, इकरारनामा की छायाप्रति– प्रदर्श–03/01, इकरारनामा की छायाप्रति– प्रदर्श–04/01, फोटो दिनाँक 30.04.2013– प्रदर्श–05, फोटो दिनाँक 30.04.2013– प्रदर्श–06, भूमि का लगान की छायाप्रति– प्रदर्श–07/ए, नक्शा–

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–08/ए, प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव– प्रदर्श–09, हस्तलिखित जमाबन्दी ग्राम डाबड़ा सम्वत् 2068–71 खेवट संख्या 234/202 खसरा नम्बर 61, 62 की प्रमाणित प्रतिलिपि– प्रदर्श–10, नक्शाट्रेश– प्रदर्श–11, पेश हुए।

वादी की ओर से गवाहान्, सुशीलकुमार का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का– PW–01, हरदेवाराम का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का– PW–02, भँवरलाल रणवा का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का– PW–03, रिछपालसिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का– PW–04, **पेश हुए।**

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वाद में प्राथमिक डिक्री हुई है परन्तु पालना अप्राप्त है इसलिए वाद का निस्तारण वाद अनुतोष माफिक किया जावे। दलील वकील वादी है कि, वाद में बावजूद तामिलगी के पक्षकारान् अनुपस्थित है क्योंकि वाद में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही वाद में हो चुकी है अतः वादी अनुतोष अनुसार दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। वादी दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं जिसमें किसी पक्षकार की कोई आपत्ति पेश नहीं है। सरहद डाबड़ा के खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा भूमि में से रकबा 22.12 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के पिता स्वर्गीय बोदूलाल पुत्र लादूराम ने जरिये इकरारनामा के दिनाँक 20.07.92 को खरीद किया है जिसमें किसी पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं है। अतः उक्त भूमि रकबा 22.12 बीघा की खातेदारी नियमानुसार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पंजीयन शुल्क जमा के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 नाम से दर्ज किया जाना उचित है, लिहाजा वाद वादी माफिक दावा डिक्री किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबड़ा में वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा भूमि में से रकबा 22.12 बीघा भूमि की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के नाम से घोषित की जाती है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम हटाया जाता है तथा इस खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तहसीलदार डीडवाना को निर्देश है कि वे हस्तगत वाद वर्णित भूमि की खातेदारी नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। वादी द्वारा पेश बन्टवारा प्रस्ताव प्रदर्श–09 दिनाँक 26.04.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **68/2013** दायर दिनाँक **03.05.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय बोदूलाल, जाति–महाजन, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 2. निरंजनकुमार पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 3. शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 4. गोपालप्रसाद पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, 5. बिदामीदेवी पत्नी स्वर्गीय हजारीमल, समस्त,जाति–महाजन (कामदार), निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. जतनाराम पुत्र भुराराम, जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. कमलादेवी पत्नी लच्छाराम, जाति–जाट, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बोदुलाल, 9. जितेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय बोदुलाल, समस्त,जाति–महाजन (कामदार), निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना एवं उपपंजीयक, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 11.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार्ड रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद डाबड़ा में वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. खसरा नम्बर 62 रकबा 49.05 बीघा भूमि में से रकबा 22.12 बीघा भूमि की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के नाम से घोषित की जाती है व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम हटाया जाता है तथा इस खसरे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तहसीलदार डीडवाना को निर्देश है कि वे हस्तगत वाद वर्णित भूमि की खातेदारी नियमानुसार पंजीयन शुल्क जमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। वादी द्वारा पेश बन्टवारा प्रस्ताव प्रदर्श–09 दिनांक 26.04.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........–.......... मुबलिग...........–.............. बाबत.............. ....–....................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। असबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.02.2019 को सर इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बावत इजराय		
बावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–68–2013/रीडर/2019/ 206 दिनाँक 26/7/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुशीलकुमार कामदार पुत्र स्वर्गीय बोदूलाल जाति–महाजन, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीप्रकाश पुत्र स्वर्गीय हजारीमल, जाति–महाजन (कामदार), निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner